**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

**PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 610 OF 2025**

**IN THE MATTER OF:**

**AMAR SINGH …. APPLICANT**

**VERSUS**

**STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. ….RESPONDENT(S)**

**INDEX**


| S. NO | PARTICULARS | PAGE NO. |
|---|---|---|
| 1. | RESPONSE ON BEHALF OF **DISTRICT MAGISTRATE, SULTANPUR, RESPONDENT NO. 2** IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 09.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL | |
| 2. | A COPY OF THE JOINT COMMITTEE REPORT IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-1** | |
| 3. | A COPY OF THE SAID REVENUE RECORDS ALONG WITH A NAZRI NAKSHA OF THE GATA NO.89 ARE BEING ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS **ANNEXURE-2** | |
| 4. | A COPY OF THE SAID LETTER DATED 12.02.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-3** | |

| | | |
|---|---|---|
| 5. | COPIES OF THE SAID NOTICE AND WRITTEN REPLY ARE BEING ANNEXED HEREWITH AND COLLECTIVELY MARKED AS **ANNEXURE-4** | |
| 6. | A COPY OF THE SAID LEKHPAL REPORT DATED 04.04.2026 IS BEING ANNEXED HEREWITH AS **ANNEXURE-5** | |
| 7. | COPIES OF THE SAID EVICTION CASES ARE BEING ANNEXED HEREWITH AND MARKED COLLECTIVELY AS **ANNEXURE-6** | |

***THROUGH COUNSEL***

BHANWAR PAL SINGH JADON
STANDING COUNSEL FOR THE DM, SULTANPUR
EMAIL-bhanwar09jadon@gmail.com

Date: 16.04.2025
Place: NOIDA

BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL

PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 610 OF 2025

**IN THE MATTER OF:**

AMAR SINGH .... APPLICANT

VERSUS

STATE OF UTTAR PRADESH & ORS. .... RESPONDENT(S)

अध्यक्ष
शपथ आयुक्त

**RESPONSE ON BEHALF OF DISTRICT MAGISTRATE, SULTANPUR, RESPONDENT NO. 2 IN COMPLIANCE OF THE ORDER DT. 09.02.2026 PASSED BY THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL**

I, ......Kumar Harsh...... aged about ..32...... years S/o...Sanjay Kumar Jha......, presently posted as ..District ....Magistrate, Sultanpur...., do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That I, the deponent in the above captioned matter am fully conversant with the facts of the case and is competent and authorized to swear the present affidavit.
2. That I state that the contents of the affidavit have been drafted by my counsel

on my instructions and the contents of the same are true to my knowledge and nothing material has been concealed therefrom.

## I. BACKGROUND OF THE MATTER

3. That the Applicant in the present O.A has raised grievances regarding the encroachment on ponds in village Lodipur, Post Bhartipur, Tehsil Lambhua, District Sultanpur, Uttar Pradesh.

4. That the above mentioned O.A was listed for hearing on 09.02.2026, wherein the Hon'ble Tribunal directed the Deponent to file their reply/response. The relevant portion of the order has been reproduced herein:

***"…..4. Responses by the respondents may be filed within one month. In his response, District Magistrate, Sultanpur is directed to give complete information regarding encroachments made on the pond with all requisite details regarding land encroached upon, particulars of the encroachers and action taken for removal of encroachments."***

Scanned with OKEN Scanner

II. REPLY IS AS FOLLOWS:

A. <u>JOINT COMMITTEE SITE VISIT</u>

5. It is submitted that in compliance of the directions passed by this Hon'ble Tribunal, **the Joint Committee comprising of:** ***1. Tehsildar (Representative of the DM, Sultanpur) 2. Scientist-E, CPCB, and 3. AEE, UPPCB*** **conducted a site-visit on 06.01.2026.**

6. That the Joint Committee observed that there had been several encroachments on the designated pond area, i.e., Gata No 89, as per the revenue records. It was found that several concreted structures that are permanent in nature were built by Mr. Rakesh Kumar Pandey & Girja Shankar Shukla. A kuccha road had also been constructed in the said area.

   A copy of the Joint Committee report is being annexed herewith as **ANNEXURE-1**

B. <u>VERIFICATION OF RELEVANT REVENUE RECORDS</u>

7. That it is respectfully submitted that the land in question that is Gata No. 89 having an area of 0.873 hectares is recorded as a pond in the relevant Khasra/Khatuani records.

   A copy of the said Revenue records along with a nazri naksha of the Gata No.89 are being annexed herewith and collectively marked as **ANNEXURE-2**

Scanned with OKEN Scanner

## C. ACTION TAKEN REGARDING THE INTERLOCKING WORK

8. That vide letter dated 12.01.2026, the Tehsildar, Lambua had submitted a report to the Deponent stating that the interlocking work had been carried out on a part of the pond land by the Gram Pradhan.

   A copy of the said letter dated 12.01.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-3**

9. **That further, the Tehsildar, Lambua issued a notice dated 27.03.2026 to the Gram Pradhan, Lodipur, seeking an explanation regarding the interlocking work. In response to this notice, the Gram Pradhan, in his written reply dated 05.04.2026 informed that the encroachment made on the pond land had been voluntarily removed completely from the site on 04.04.2026.**

   Copies of the said notice and written reply are being annexed herewith and collectively marked as **ANNEXURE-4**

10. It is submitted that the fact that the interlocking work has now been voluntarily removed by the Gram Pradhan as stated in his afore-mentioned response is also duly corroborated by the report of the Lekhpal vide letter dated 04.04.2026.

शपथ आयुक्त लम्भुआ सुलतानपुर

Scanned with OKEN Scanner

A copy of the said Lekhpal report dated 04.04.2026 is being annexed herewith as **ANNEXURE-5**

## D. ACTION TAKEN REGARDING REMOVAL OF ENCROACHMENTS

11. **It is submitted that as per the observations of the Joint Committee inspection, eviction cases have been registered by the Tehsildar, Lambua, Sultanpur not only on the three persons namely- Uma Srivastava, Poonam Mishra and Rakesh Pandey but all seven illegal occupants, namely-** ***1. Uma Srivastava, 2. Poonam Mishra, 3. Rakesh Pandey, 4. Bankelal, 5. Ramdutt, 6. Girja Shankar Shukla and 7. Shiv Prasad*** **U/S 67 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006**, the details of which are produced as under:

i. **CASE NO. T-202604680300142 (STATE VS. UMA SRIVASTAVA & OTHERS)** – In addition to Smt. Uma Srivastava, Shri Bankelal and Shri Ramdatt have also been impleaded as parties.

ii. **CASE NO. T-202604680300143 (STATE VS. POONAM MISHRA & OTHERS)** – In addition to Smt. Poonam Mishra, Shri Shiv Prasad has been impleaded as a party.

Scanned with OKEN Scanner

iii. **CASE NO. T-202604680300144 (STATE VS. RAKESH PANDEY & OTHERS)** – In addition to Shri Rakesh Pandey, Shri Girjashankar Shukla has been impleaded as a co-party.

12. Further, it is respectfully submitted and clarified that proceedings are ongoing against all 07 encroachers, and they have been impleaded as parties in the said 03 computerized cases in accordance with law. Due to a technical feature of the RCMS portal of the Board of Revenue, Lucknow, the term “etc.”appears after the main name, which includes the other co-parties as well.

Copies of the said eviction cases are being annexed herewith and marked collectively as **ANNEXURE-6**

13. It is submitted that the afore-said eviction cases proceedings are pending and on-going against all identified encroachers and the next date of hearing is on 17.04.2026. **It is hence submitted that, thus, no responsible person has been left out from the ambit of legal proceedings, and action is being taken against all concerned parties strictly in accordance with law. The aforesaid cases shall be decided expeditiously on merits, and further necessary action shall be ensured accordingly.**

Scanned with OKEN Scanner

14. That the Deponent, being duty-bound under law, is committed to ensuring strict compliance with all directions of this Hon'ble Tribunal and undertakes to adhere to any further orders or instructions issued hereafter, without demur or delay.

15. Hence, the present response is being submitted for the kind perusal of this Hon'ble Tribunal and it is prayed that the same be taken on record.

**DEPONENT**

## VERIFICATION

Verified at Sultanpur on this 16 April (Thursday) day of April, 2026, that the contents of the above affidavit from paragraphs 1 to 15 are true and correct to the best of my knowledge and belief. No part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

**DEPONENT**

Serial No. 1520 Time 12:15 PM
Solomany affirmed sooath as under before me in my office Presented by Kumar Harsh, DM, Sultanpur
Inentified by Sri
This Affidavid read & Explained to th Deponent
Date 16/04/2026 Oath Commissioner

# REPORT OF THE JOINT COMMITTEE

*In*

*Compliance with the*

*Hon'ble NGT Order dated 08.12.2025*

*In the matter of*

*Amar Singh*
*Versus*
*State of U.P. & Ors.*

**In**

**OA No. 610/2025/PB**

**-Submitted by-**
**DM Sultanpur, CPCB and UPPCB**

**January, 2025**

**Report of the Joint Committee in Compliance to the Hon'ble NGT Order dated 08.12.2025 in the matter of Amar Singh Versus State of U.P. & Ors. in OA No. 610/2025/PB**

**1. Background**

The Original Application No. 610/2025 was registered before the Hon'ble National Green Tribunal, Principal Bench, New Delhi, based on a letter petition submitted by Shri Amar Singh, which was treated as a suo motu application in accordance with the law laid down by the Hon'ble Supreme Court in Municipal Corporation of Greater Mumbai vs. Ankita Sinha (2022) 13 SCC 401.

The applicant alleged illegal encroachment and filling of a land Gata No.89 measuring 0.8730 hectares which is registered as a pond.The said pond is situated at Village Lodipur, Post Bharthipur, Tehsil Lambhua, District Sultanpur, Uttar Pradesh. It is alleged that certain private individuals, in connivance with the Gram Pradhan and Village Secretary, have filled up the pond under the pretext of construction of a private road and proposed paving work withInterlocking Tiles.

The applicant further alleged that the said activities have resulted in obstruction of natural drainage, waterlogging and submergence of nearby residential houses, besides adversely affecting rainwater harvesting, biodiversity and environmental sustainability of the area. The allegations also include misuse of government funds and violation of provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, Water (Prevention and Control of Pollution) Act, 1974, Wetlands (Conservation and Management) Rules, 2017, Uttar Pradesh Zamindari Abolition Act and Section 431 of the Indian Penal Code.

Based on the averments made in the letter petition, the Hon'ble Tribunal observed that the issues raised involve substantial questions relating to the environment. Accordingly, the Hon'ble Tribunal vide order dated 08.12.2025 registered the matter as Original Application No. 610/2025, issued notices

to the concerned authorities and deemed it appropriate to constitute a Joint Committee to verify the factual position and suggest appropriate remedial measures.

**2. Formation of the Joint Committee**

In compliance to the Hon'ble NGT Orders, a Joint Committee was constituted comprising of the following members.

| | | | |
|---|---|---|---|
| a) | Mr Pranjal Tripathi, Tahsildar | : | Representative of District Magistrate, Sultanpur |
| b) | Mr Sandeep Roy, Scientist E | : | Central Pollution Control Board, Regional Directorate, Lucknow |
| c) | Mr Deepak Mehra, Asst. Env. Engg. | : | Regional Office, Uttar Pradesh Pollution Control Board |

The Hon'ble Tribunal designated the Central Pollution Control Board (CPCB) as the Nodal Agency for coordination, compliance and submission of the Joint Committee report. The Committee was directed to meet within two weeks, conduct a site visit, verify the grievances raised in the application, assess the factual position on ground and suggest appropriate remedial actions. The Committee was further directed to submit its report to the Hon'ble Tribunal within one month.

**3. Site Visit**

The Joint Committee conducted site visit at the alleged area during 6$^{th}$ January, 2025.

**4.0 Observations of the Joint Committee**

a) The Joint Committee members conducted the site inspection and examined the physical status of the pond recorded as Gata No.89 measuring 0.8730 hectares During the visit, the Committee assessed the extent of encroachment, earth filling activities and presence of constructed structures.

b) Local stakeholders and Revenue officials (from DM- Sultanpur Office) were also present during the inspection to ascertain the factual position.

The point-wise observations of the Committee with respect to the allegations, as raised by the Applicant is following:

| SlNo. | Allegation by the Applicant | Observation of the Joint committee |
|---|---|---|
| 1 | In frontof the southern edge of plot 86, Girjashankar Shukla and RakeshKumar Pandey, in connivance with the village head and villagesecretary, have dug out two trolleys of soil with a JCB under thepretext of constructing a personal road and proposed interlocking., | • During visit, JCB operations and digging of Soil were not found for construction.<br>• Infront of Plot No.86, a pathway (Kuchcha road) has been built by filling of earthen material in the pond for vehicular/pedestrian movement.<br>• Upon conversation with the local villagers, it was informed that this road was constructed in the year 2002- 03 (approx) in the presence of the then Gram PanchayatPardhaan with the consent of local populace of the area.<br>• The permission was not obtained from Authorities for filling up of pond and associated construction activities. |
| 2 | They have filled up the pond in front of their doorsteps and have constructedconcrete structures like iron rods, toilets, and earthen ramps, | On the filled-up area of the pond, severalbrick/concrete structures (permanent type)(cowshed, stubble storage, agriculture machine storage room) have been built by Mr |

| | | |
|---|---|---|
| | etc., dueto which the problem of water drainage is arising in the neighbouringhouses, and houses and doors are getting submerged. | Rakesh Kumar Pandey& Mr Girja Shankar Shukla.<br><br>As per details given in Point No. 1, these structures were also constructed approximately during the year 2002-03<br><br>During visit, any type of submergence of nearby houses due to drainage system of these brick/concrete structureswas not observed |
| 4 | Keeping the complainant's identity confidential is essential forthe safety of his life and property. This would be a great kindness onyour part. "Take suo motu cognizance of this as a public interestlitigation." | On receiving of the direction of Hon'ble NGT- PB, the Local Administration i.e. Tahsildar-Lambua-Sultanpur has registered the eviction case against residents (namely Ms Uma Srivastava, Ms Poonam Mishra and Mr Rakesh Pandey) for which hearing is to be held at the Hon'ble Court of Tahsildar- Lambua, Sultanpur. (copy of notice is enclosedat Annexure I) |

## 5.0 Summary &Conclusions

a) Upon investigation, it was observed that there has been encroachment on the pond area, in front of plot no.86.Several brick/concrete structures (permanent type)(cowshed, stubble storage, agriculture machine storage room etc.) have been built by Mr Rakesh Kumar Pandey&Mr Girja Shankar Shukla in the encroached area. Further, a kuccha road has also been constructed in the said area. The local population has informed that this construction was carried out in the year 2002-03 (approx)

b) During inspection, it was observed that the pond was divided into two parts due to filling up by earthen material (in the year 2002-03)and northern part of pond was dry and had become overgrown with shrubs &bushes. However, on other part of pond (southern side) was having nominal water. As informed by villagers, the pond is generally in dried condition other than monsoon seasonand no natural water available in the pond. During rainy season, water gets accumulated in the pond.

c) All the structures (cowshed, stubble storage, agriculture machine storage room etc) built without obtaining permission from local administration may be removed after the hearing proceeding is concluded and order is obtained from Tehsildar court, Lambhua and the earthwork be dredged out to maintain the sanctity of the water body and the area of the pond should be restored as to original by the concerned authorities.

d) The concerned authorities may keep vigil in the area by increasing patrolling to avoid such type of encroachments.

| | | |
|---|---|---|
| (Sandeep Roy)<br>Scientist E,<br>CPCB RD, Lucknow | 05/2/26<br>(Deepak Mehra)<br>**Assistant Environmental Engineer, Regional Office, UPPCB** | 05/02/26<br>(Pranjal Tripathi)<br>Tahsildar<br>(Representative of District Magistrate,Sultanpur) |

## Photographs of the Joint Committee Field visit on 06/01/2025

Kuccha road in front of Plot no. 86

Permanent structures in the encroached area

South side of pond

North side of pond

Joint Committee

# उद्धरण खतौनी (अप्रमाणित प्रति)

15/Apr/2026 01:03:28 PM

**जनपद:** सुल्तानपुर | **तहसील:** लम्भुआ | **ग्राम:** लोदीपुर

**ग्राम कोड:** 170455 | **फसली वर्ष:** 1428-1433 (01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2026) | **खाता संख्या:** 00172

**श्रेणी :** 6-1 / अकृषिक भूमि - जलमग्न भूमि ।

| **खातेदार का विवरण** | | **खातेदारी प्रारम्भ होने का विवरण** | | **भूमि का विवरण** | | **खातेदार का अंश** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **खसरा/ गाटा संख्या** | **(2) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु)** | **(3) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / जोत का आधार** | **(4) वर्ष** | **(5) गाटा (यूनीक कोड)** | **(6) गाटे का कुल क्षेत्रफल(हे०)** | **(7) हिस्से में** | **(8) क्षेत्रफल में(हे०)** | **(9) खातेदार द्वारा देय भू-राजस्व** |
| 89 | 1) तालाब / / | | | 89 (1704550089000061) | 0.8730 | 1) 1/1 | 1) 0.8730 | |
| | | | | | | | **0.8730** | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **कुल गाटे:** एक | **कुल क्षेत्रफल:** शून्य दशमलव आठ सात तीन शून्य (हेक्टेयर) | **कुल भू-राजस्व:** | **कुल अंश का क्षेत्रफल:** शून्य दशमलव आठ सात तीन शून्य (हेक्टेयर) |

| नामान्तरण / परिवर्तन का विवरण | खारिज किया गया | | | दर्ज किया गया | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (10) न्यायालय का नाम / कम्प्यूटरीकृत वाद संख्या अथवा आदेश संख्या / आदेश का दिनांक / नामान्तरण का आधार / डिजिटल हस्ताक्षर नाम (पदनाम) / डिजिटल हस्ताक्षर दिनांक | (11) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (12) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (13) क्षेत्रफल(हे०) | (14) नाम/पिता-पति-संरक्षक-प्रबंधक का नाम / जाति कोड / आधार नं0 (अन्तिम चार अंक) अथवा पैन नं0 (6-9 स्थान के अंक) / पता / जन्मतिथि (अवयस्क हेतु) | (15) गाटे का खसरा नम्बर / यूनीक कोड | (16) क्षेत्रफल(हे०) |

(17) भूमि के सम्बन्ध में विचाराधीन राजस्व वाद की कम्प्यूटरीकृत संख्या

**(18) बंधक/बंधक-मुक्त होने की स्थिति**

**(18.1) बंधक होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):**
**(18.2) बंधक-मुक्त होने की स्थिति (संस्था अथवा बैंक का नाम/कोड/बंधक-मुक्त का दिनांक/धनराशि/आवेदन संख्या/खातेदार(पिता-पति-संरक्षक)):**

**अभ्युक्ति:**

**पूर्व आदेशों का विवरण:**

1) 1422फ0उपजिलाधिकारी महोदय लम्भुआ के कार्यालयआदेश संख्या 479/र0का0-तालाब-वेटलैण्ड दिनांक 31जनवरी 2015द्वारा आदेश हुआ कि तालाबों के खतौनीकी श्रेणी-6-1में बिना किसी परिवर्तन किए हुए गाटा सं089/0.873,110/1.764,161/ 0.835,190/0.607के विवरण स्तम्भ में वेटलैण्ड

2) ‌ंअंकित किया जाय। ह0अ0र0का029.4.15क0अं09.6.15

कृपया उक्त खसरे की प्रस्थिति (भूखंड (गाटा) के वाद ग्रस्त /विक्रय /भू-नक्शा /नामांतरण बही ) हेतु खसरा संख्या पर क्लिक करें।

Disclaimer: उक्त आँकडे मात्र अवलोकनार्थ हैं, उक्त विवरण अद्यतन है, तहसील कम्प्यूटर केन्द्र एवम सी.एस.सी/लोकवाणी केन्द्र से उद्धरण की प्रमाणित प्रति प्राप्त की जा सकती है।

Above content is for information. The information provided online is updated and no physical visit is required. For Certified copy, apply through e-district portal/CSC/Tehsil Computer Centre.

**Software Powered By:** National Informatics Center, Uttar Pradesh State Unit, Lucknow.

# नजरी नक्शा

NAZRI NAKSHA

तालाब गाटा सं. 89/0.873 हे. स्थित ग्रा. - लोदीपुर, पर. - मीरानपुर, तह. - लम्भुआ, जन. - सुल्तानपुर

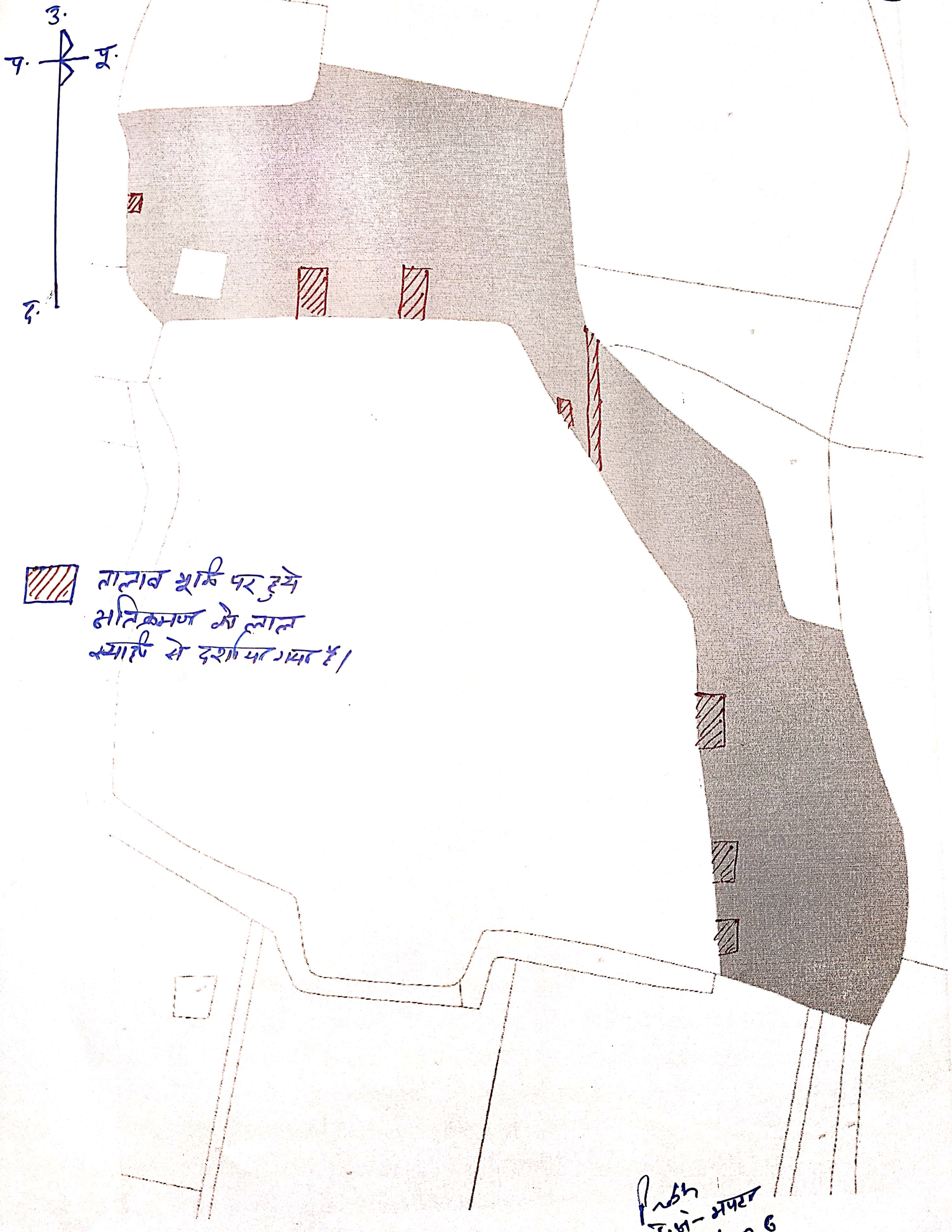


12/1/2026

महोदय,

मानननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण में दायर ओ0ए0 संख्या 610/2025 अमर सिंह बनाम् उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 08.12.2025 के अनुपालन के क्रम में ग्राम लोदीपुर परगना मीरानपुर तहसील लम्भुआ जनपद सुलतानपुर की गाटा संख्या 89/0.873हे0 जो कि अभिलेख मे तालाब खाता में अंकित है। उक्त गाटे की स्थलीय व अभिलेखीय जांच राजस्व निरीक्षक रामपुर हनुमानगंज व राजस्व टीम के साथ की गयी। गाटा संख्या 89 के आंशिक भाग पर ग्राम प्रधान द्वारा तालाब के पूर्व दिशा मे स्थित बाग गाटा संख्या 85 मे बनवाये गये इन्टर लॉकिंग का कुछ भाग पडता है, इसके अलावा उमा श्रीवास्तव पत्नी राधेमोहन श्रीवास्तव, बांकेलाल सुत बाल गोविद, रामदत्त सुत रामसनेही, पूनम मिश्रा पत्नी रविशंकर मिश्रा शिवप्रसाद सुत बैजनाथ, राकेश पाण्डेय सुत राम प्रताप पाण्डेय, गिरजाशंकर शुक्ल सुत रामयज्ञ शुक्ल आदि द्वारा शौचालय, टीन शेड, पक्का मकान, गौशाला, भुरैला बनाकर अवैध कब्जा किया गया है। जिनके विरुद्ध श्रीमान् तहसीलदार महोदय के न्यायालय में उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 की धारा 67(1) के अन्तर्गत बेदखली का वाद विचाराधीन है, जिसकी वाद संख्या क्रमशः T202604680300142, T202604680300143, T202604680300144 तथा अग्रिम तारीख पेशी 15.01.2026 नियत की गयी है।

रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित

Rubb
ले.क्षे.-अधर
12/1/2026

तहसीलदार 12/1/2026
लम्भुआ,सुलतानपुर।

Scanned with OKEN Scanner

ANNEXURE-4

सेवा में,

तहसीलदार महोदय

लम्भुआ, सुलतानपुर।

**विषयः**—स्पष्टीकरण पत्र (पत्रांक संख्याः—1444/राजस्व/2026, दिनांक 27.03.2026) के सम्बन्ध में ग्राम प्रधान, लोदीपुर का जवाब।

महोदय,

सादर अवगत कराना है कि आपके कार्यालय द्वारा प्राप्त नोटिस (दिनांक 27.03.2026) के सन्दर्भ में मेरा स्पष्टीकरण यह है कि ग्राम लोदीपुर में जनहित हेतु इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कार्य कराया गया था। कार्य के समय स्थलीय चिन्हांकन के अभाव में यह संज्ञान में नहीं था कि जिस स्थान पर कार्य कराया गया है उसका कुछ अंश राजस्व अभिलेखों में दर्ज तालाब (गाटा संख्या 89) की श्रेणी में आता है। अनजाने में हुई इस त्रुटि के लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। यह कि जैसे ही राजस्व टीम एवं आपके नोटिस के माध्यम से मुझे यह ज्ञात हुआ कि उक्त निर्माण का कुछ हिस्सा तालाब की भूमि पर पड़ रहा है, मैंने तत्काल संज्ञान लेते हुए दिनांक 04.04.2026 को तालाब की भूमि पर पड़ने वाले लगभग 15 मीटर लम्बे इंटरलॉकिंग हिस्से को स्वयं से हटवा दिया है। वर्तमान में तालाब की उक्त भूमि पूर्णतः खाली। स्थलीय पुष्टि हेतु संलग्न फोटोग्राफ्स का अवलोकन करने का कष्ट करें।

अतः अनुरोध है कि मेरे विरुद्ध जारी नोटिस को समाप्त करने की कृपा करें। भविष्य में सरकारी भूमि के संरक्षण के प्रति पूर्ण सावधानी बरती जाएगी।

संलग्नकः—अतिक्रमण हटाने के उपरान्त स्थलीय फोटोग्राफ्स।

दिनांकः—05.04.2026

भवदीय

ग्राम प्रधान

ग्राम —लोदीपुर

तहसील,लम्भुआ।

Scanned with OKEN Scanner

**कार्यालय तहसीलदार, लम्भुआ (सुलतानपुर)**

**पत्रांकः–** 1444 /राजस्व/2026 **दिनांकः–**27.03.2026

ग्राम प्रधान,
ग्राम–लोदीपुर,
तहसील–लम्भुआ, सुलतानपुर।

**विषयः**–ग्राम लोदीपुर स्थित तालाब (गाटा संख्या 89) की सुरक्षित भूमि (तालाब भूमि) पर अवैध इंटरलॉकिंग निर्माण के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण।

महोदय,

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT), नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या 610/2025 ''अमर सिंह बनाम उत्तर प्रदेश राज्य'' के क्रम में की गई स्थलीय जाँच एवं राजस्व अभिलेखों के सत्यापन से यह तथ्य संज्ञान में आया है कि ग्राम लोदीपुर स्थित तालाब की सुरक्षित भूमि (गाटा संख्या 89, क्षेत्रफल 0.873 हेक्टेयर) के आंशिक भाग पर आपके द्वारा इंटरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त अवैध निर्माण के सम्बन्ध में अपना लिखित स्पष्टीकरण 03 कार्य दिवसों के भीतर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करें कि किन परिस्थितियों में सरकारी तालाब की भूमि पर यह कार्य कराया गया। संतोषजनक उत्तर प्राप्त न होने की दशा में आपके विरुद्ध विधिक कार्यवाही हेतु आंख्या उच्चाधिकारियों को प्रेषित कर दी जाएगी।

तहसीलदार
लम्भुआ,सुलतानपुर।

प्राप्त किया
28-03-2026

ग्राम पंचायत सुलतानपुर(लोदीपुर)
वि0ख0–भदैयाँ, सुलतानपुर

ANNEXURE-5

महोदय,

ग्राम- लोदीपुर परगना- मीरानपुर तह- जम्भुआ जन- सुलतानपुर में स्थित गाटा सं0 89/0.873 है जो कि तालाब खाते में अंकित है। उक्त गाटे के आंशिक भाग पर पूर्व में ग्राम सभा द्वारा इंटरलाकिंग (खड़ंजा) बिछवाया गया था जिसे ग्राम प्रधान द्वारा स्वयं हटवा दिया गया है।

आख्या सादर सेवा में प्रेषित

लेखपाल
4/4/2026

04/04/26
RE(B)

अग्रसारित

TCR(L)
04/04/26

Scanned with OKEN Scanner

# आर.सी.प्रपत्र-19

[देखे नियमम-68]

**सहायक कलेक्टर को भू-खण्ड के सम्बन्ध में धार 67(1) द्वारा अपेक्षित सूचना**

भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 0.873हे. ग्राम- लोदीपुर परगना मीरानपुर तहसील लम्भुआ ~~सदर~~ जिला – सुल्तानपुर ~~फैजाबाद~~

सेवा में ,

**सहायक कलेक्टर /तहसीलदार**

**तहसील-** लम्भुआ

**जिला** -- सुल्तानपुर

महोदय ,

श्री उमा श्रीवास्तव W/o राधेमोहन श्रीवास्तव, बांकेलाल S/o बाल गोविंद, रामदत्त मिश्रा S/o राम सनेही मिश्रा पुत्र श्री ---------------------------- निवासी ग्राम- लोदीपुर परगना मीरानपुर तहसील लम्भुआ -जिला सुल्तानपुर ग्राम पंचायत / स्थानीय पदाधिकारी ------------------- को प्रद्त भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का अवैध रूप से अध्यासन किया है या नुक्सान दुर्विनियोजन किया है या कारित कर रहा है :-

१- **भू-खण्ड संख्या** 89 मि.

२- **ग्राम** लोदीपुर

३- **तहसील** लम्भुआ

४- **जिला** सुल्तानपुर

५- **भू-खण्ड का क्षेत्रफल** 70 वर्ग मी.

६- **नुक्सान / दुर्विनियोजन/ अवैध अध्यासन का विवरण** शौचालय व टीन शेड बनाकर

७- **अवैध अध्यासन का वर्ष** 2 वर्ष

८- **कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित सम्पत्ति का बाज़ार मूल्य** 49000.00₹

९- **दावाकृत नुकसानी** ------

अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्त अवैध अध्यासी के विरुद्ध नुकसानी / प्रतिकार की वसूली के सम्बन्ध में और अवैध अध्यासी की बेदखली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें .

दिनांक

**भूमि प्रबंधक समितिका अध्यक्ष / सदस्य/सचिव अथवा ग्रामका कोई अन्य सदस्य**

महोदय,

ग्रा.- लोदीपुर पर.- मीरानपुर तह.- लम्भुआ जन.- सुल्तानपुर की गाटा सं. 89 जो कि तालाब खाते में अंकित है। संपत्ति ग्राम सभा है। उक्त गाटे के आंशिक भाग 70 वर्ग मी. पर शौचालय व टीन शेड बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। जिससे ग्राम सभा की अपूर्णीय क्षति हो रही है।

अतः अवैध कब्जेदार के विरुद्ध धारा 67(1) उ.प्र.रा.सं. 2006 के तहत बेदखली की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित

(हस्ताक्षर) ले.प. भूपेन्द्र
5/1/2026

Scanned with OKEN Scanner

आर.सी.प्रपत्र -20

[देखे नियम -67 (2) और 67(5)]

**न्यायलय सहायक कलेक्टर/ तहसीलदार** लम्भुआ

**तहसील-** लम्भुआ **जिला –** सुल्तानपुर

वाद संख्या ---------------------वर्ष-------------

**ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकारी** ----------------------------------**बनाम** उमा श्रीवास्तव W/o राधेमोहन श्रीवास्तव, बाँकेलाल S/o बालगोविंद, रामदत्त मिश्रा S/o राम सनेही मिश्रा

सेवा में,

श्री उमा श्रीवास्तव W/o राधेमोहन श्रीवास्तव, बाँकेलाल S/o बालगोविंद, रामदत्त मिश्रा S/o राम सनेही मिश्रा पुत्र श्री---------------------

निवासी- लोदीपुर

चूँकि भूमि प्रबन्धक समिति------------------------------ के अध्यक्ष /सदस्य/सचिव----------------(अन्य सूचना दाता का नाम और पता )------------------------(स्थानीय प्राधिकारी का नाम) की आख्या सूचना दिनांकित -----------------में मेरा समाधान हो गया है कि –

(क )- अधोलिखित सम्पत्ति को हानि पहुचाया है या पहुंचा रहे है ;

(ख)- अधोलिखित सम्पत्ति को दुर्विनियोजन किया गया है;

(ग)- अधोलिखित सम्पति पर अवैध कब्जा किया गया है ;

ग्राम पंचायत /स्थानीय प्राधिकारी को सौपी गयी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में यह नोटिस है , का विवरण :-

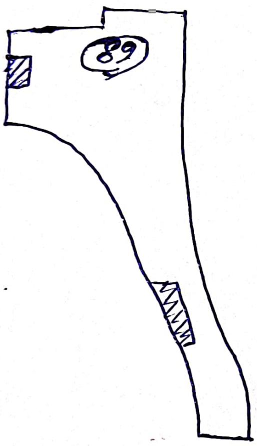


१- **भू-खण्ड संख्या** 89 मि.

२- **ग्राम**- लोदीपुर

३- **तहसील**- लम्भुआ

४- **भू-खण्ड का क्षेत्रफल** 70 वर्ग मी.

५- **क्षति/ दुर्विनियोजन /अवैध कब्जे का विवरण** शौचालय व टीन शेड बनाकर

६- **नुकसान पहुचायी गयी / दुर्विनियोजित /अवैध अध्यासन की सम्पति का बाज़ार मूल्य** 49000.00₹

७- **दावाकृत क्षतपूर्ति** ---------------------------

अवैध कब्जा नीली स्याही से दर्शाया गया है।

८- **निष्पादन का व्यय** --------------------------------

(हस्ताक्षर) लेखपाल 5/11/2024



Scanned with OKEN Scanner

अतः एतददवारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप --------------- दिन के अन्दर ---

१- अवैध अध्यासन को हटा ले और रुपया----------की नुकसानी जमा कर दे और यदि आप भूमि खाली करने के पहले फसल काटना चाहते है तो रुपया-------की अग्रेतर धनरासी भाटक के रूप में जमा कर दे ;

२- नुक्सान की मरमत करे अथवा दुर्वनियोजन के कारण हुई क्षति को पूर्ण करे अथवा /और रुपया------------ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकारी को सौपी गयी भूमि के नुक्सान अथवा दुर्वनियोजन के लिए नुकसानी के रूप में जमा करे.

३- -----करे अतवा करने से विरत रहे और दिनांक-------------------------को समय ------------- को मेरे समक्ष इस नोटिस के पालन की सूचना के लिए अथवा उसके विरुद्ध कारण बताने के लिए उपस्थिति हो.

आपको यह भी सूचित किया जाता है की यदि आप उल्लखित दिनांक और समय को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति नही होते है और कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नही करते है तो मामले में विनिश्चय किया जाएगा और आपके विरुद्ध एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया जाएगा.

मेरे हस्ताक्षर अथवा न्यायालय की मुहर से दिनांक--------को जारी किया गया .

**पीठासीन अधिकारी**
पदनाम ---
दिनाक----



Scanned with OKEN Scanner

67

# आर.सी.प्रपत्र-19

[देखे नियमम-68]

**सहायक कलेक्टर को भू-खण्ड के सम्बन्ध में धार 67(1) द्वारा अपेक्षित सूचना**

भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 0.873 ग्राम- लोदीपुर परगना मीरानपुर तहसील ~~सदर~~ लम्भुआ जिला – ~~फैजाबाद~~ सुल्तानपुर

सेवा में ,

**सहायक कलेक्टर /तहसीलदार**

**तहसील-** लम्भुआ

**जिला** –सुल्तानपुर

महोदय , पूनम मिश्रा W/o रविशंकर मिश्रा
शिव प्रसाद शुक्ल S/o बैजनाथ शुक्ल

श्री------------------------------पुत्र श्री --------------------------निवासी ग्राम- लोदीपुर परगना मीरानपुर तहसील लम्भुआ -जिला सुल्तानपुर ग्राम पंचायत / स्थानीय पदाधिकारी -------------------को प्रद्त भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का अवैध रूप से अध्यासन किया है या नुक्सान दुर्विनियोजन किया है या कारित कर रहा है :-

१- **भू-खण्ड संख्या** – 89 मि.
२- **ग्राम**– लोदीपुर
३- **तहसील**– लम्भुआ
४- **जिला**– सुल्तानपुर
५- **भू-खण्ड का क्षेत्रफल** – 152 वर्ग मी.
६- **नुक्सान / दुर्विनियोजन/ अवैध अध्यासन का विवरण** – पक्का मकान व भुसैला बनाकर

७- **अवैध अध्यासन का वर्ष**– 2 वर्ष

८- **कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित सम्पत्ति का बाज़ार मूल्य**– 1064 00.00₹

९- **दावाकृत नुकसानी** ------

अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्त अवैध अध्यासी के विरुद्ध नुकसानी / प्रतिकार की वसूली के सम्बन्ध में और अवैध अध्यासी की बेदखली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें .

दिनांक

**भूमि प्रबंधक समितिका अध्यक्ष / सदस्य/सचिव अथवा ग्रामका कोई अन्य सदस्य**

महोदय,
ग्रा.-लोदीपुर पर.-मीरानपुर तह.-लम्भुआ जन.-सुल्तानपुर की गाटा सं- 89 जो कि तालाब खाते में अंकित है। संपत्ति ग्राम सभा है। उक्त गाटे के आंशिक भाग 152 वर्गमी. पर पक्का मकान व भुसैला बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। जिससे ग्राम सभा की अपूर्णीय क्षति हो रही है।

अतः अवैध कब्जेदार के विरुद्ध धारा 67(1) उ.प्र. रा. सं. 2006 के तहत बेदखली की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित

[signature] लेखपाल 5/1/2026

Scanned with OKEN Scanner

## आर.सी.प्रपत्र -20

[देखे नियम -67 (2) और 67(5)]

**न्यायलय सहायक कलेक्टर/ तहसीलदार** लम्भुआ

**तहसील-** लम्भुआ **जिला –** सुलतानपुर

वाद संख्या ---------------------वर्ष-------------

**ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकारी** ----------------------------------**बनाम** ------------- पूनम मिश्रा W/o रविशंकर मिश्रा शिवप्रसाद शुक्ल S/o बैजनाथ शुक्ल

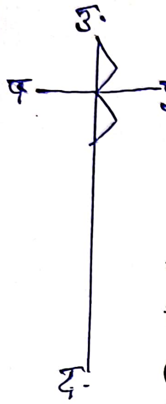


सेवा में, पूनम मिश्रा W/o रविशंकर मिश्रा, शिवप्रसाद शुक्ल S/o बैजनाथ शुक्ल

श्री ----------------------------- पुत्र श्री----------------------

निवासी- लोदीपुर

चूँकि भूमि प्रबन्धक समिति------------------------------- के अध्यक्ष /सदस्य/सचिव----------------(अन्य सूचना दाता का नाम और पता )------------------------(स्थानीय प्राधिकारी का नाम) की आख्या सूचना दिनांकित -----------------में मेरा समाधान हो गया है कि –

(क )- अधोलिखित सम्पत्ति को हानि पहुचाया है या पहुंचा रहे है ;

(ख)- अधोलिखित सम्पत्ति को दुर्विनियोजन किया गया है;

(ग)- अधोलिखित सम्पति पर अवैध कब्जा किया गया है ;

ग्राम पंचायत /स्थानीय प्राधिकारी को सौपी गयी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में यह नोटिस है , का विवरण :-

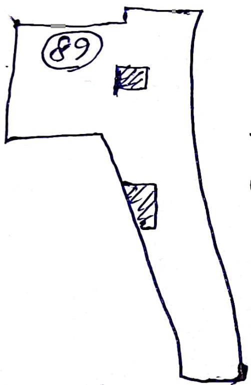


१- **भू-खण्ड संख्या** -------- 89मि.

२- **ग्राम**-------- लोदीपुर

३- **तहसील**------ लम्भुआ

४- **भू-खण्ड का क्षेत्रफल** ------- 152 वर्गमी.

५- **क्षति/ दुर्विनियोजन /अवैध कब्जे का विवरण** ------ पक्का मकान व भुसैला बनाकर

▨ अवैध कब्जा तीरछे स्याही से दर्शाया गया है।

६- **तुकसान पहुचायी गयी / दुर्विनियोजित /अवैध अध्यासन की सम्पति का बाज़ार मूल्य** ------------ 106400.00 ₹

७- **दावाकृत क्षतपूर्ति** ---------------------------

८- **निष्पादन का व्यय** -------------------------------



Scanned with OKEN Scanner

अतः एतददवारा आपको नोटिस दी जाती है कि आप ---------------- दिन के अन्दर ---

१- अवैध अध्यासन को हटा ले और रुपया-----------की नुकसानी जमा कर दे और यदि आप भूमि खाली करने के पहले फसल काटना चाहते है तो रुपया-------की अग्रेतर धनरासी भाटक के रूप में जमा कर दे ;

२- नुक्सान की मरमत करे अथवा दुर्वनियोजन के कारण हुई क्षति को पूर्ण करे अथवा /और रुपया------------ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकारी को सौपी गयी भूमि के नुक्सान अथवा दुर्वनियोजन के लिए नुकसानी के रूप में जमा करे.

३- -----करे अतवा करने से विरत रहे और दिनांक-------------------------को समय -------------- को मेरे समक्ष इस नोटिस के पालन की सूचना के लिए अथवा उसके विरुद्ध कारण बताने के लिए उपस्थिति हो.

आपको यह भी सूचित किया जाता है की यदि आप उल्लखित दिनांक और समय को या तो व्यक्तिगत रूप से अथवा अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थिति नही होते है और कारण बताओ नोटिस के विरुद्ध कोई आपत्ति दाखिल नही करते है तो मामले में विनिश्चय किया जाएगा और आपके विरुद्ध एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया जाएगा.

मेरे हस्ताक्षर अथवा न्यायालय की मुहर से दिनांक--------को जारी किया गया .

**पीठासीन अधिकारी**

पदनाम ---

दिनाक----



Scanned with OKEN Scanner

# आर.सी.प्रपत्र-19

[देखे नियमम-68]

**सहायक कलेक्टर को भू-खण्ड के सम्बन्ध में धार 67(1) द्वारा अपेक्षित सुचना**

भूखण्ड संख्या 89 क्षेत्रफल 0.873 ग्राम लोदीपुर परगना मीरानपुर तहसील ~~सदर~~ लम्भुआ जिला – ~~फैजाबाद~~ सुलतानपुर

सेवा में ,

**सहायक कलेक्टर /तहसीलदार**

**तहसील-** लम्भुआ

**जिला -** सुलतानपुर

महोदय , सुरेश पाण्डेय S/o श्री राम प्रताप पाण्डेय, गिरिजाशंकर शुक्ल S/o रामयज्ञ शुक्ल

श्री---------------------------------पुत्र श्री ---------------------------निवासी ग्राम- लोदीपुर परगना मीरानपुर तहसील लम्भुआ -जिला सुलतानपुर ग्राम पंचायत / स्थानीय पदाधिकारी ------------------को प्रद्दत भूमि जिसका विवरण नीचे दिया गया है का अवैध रूप से अध्यासन किया है या नुक्सान दुर्विनियोजन किया है या कारित कर रहा है :-

१- भू-खण्ड संख्या 89 मि.

२- ग्राम लोदीपुर

३- तहसील लम्भुआ

४- जिला सुलतानपुर

५- भू-खण्ड का क्षेत्रफल 80 वर्ग मी.

६- तुक्सान / दुर्विनियोजन/ अवैध अध्यासन का विवरण पक्की सरिया व भुसैला बनाकर

७- अवैध अध्यासन का वर्ष 2 वर्ष

८- कलेक्टर द्वारा नियत सर्किल रेट के अनुसार आगणित सम्पत्ति का बाज़ार मूल्य 56000.00₹

९- दावाकृत नुकसानी ------

अतः आप से निवेदन है कि उपरोक्त अवैध अध्यासी के विरुद्ध नुकसानी / प्रतिकार की वसूली के सम्बन्ध में और अवैध अध्यासी की बेदखली के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करने की कृपा करें .

दिनांक

**भूमि प्रबंधक समितिका अध्यक्ष / सदस्य/सचिव अथवा ग्रामका कोई अन्य सदस्य**

महोदय, ग्रा.-लोदीपुर, पर.-मीरानपुर तह.-लम्भुआ जन.-सुलतानपुर की गाटा सं 89 जो कि तालाब खाते में अंकित है, संपत्ति ग्राम सभा है। उक्त गाटे के आंशिक भाग 80 वर्ग मी. पर पक्की सरिया व भुसैला बनाकर अवैध रूप से कब्जा किया गया है। जिससे ग्राम सभा की अपूर्णीय क्षति हो रही है।

अतः अवैध कब्जेदार के विरुद्ध धारा 67(1) उ.प्र. रा.सं. 2006 के तहत बेदखली की कार्यवाही हेतु रिपोर्ट सादर सेवा में प्रेषित

लेखपाल

5/1/2026

Scanned with OKEN Scanner

आर.सी.प्रपत्र -20

[देखे नियम -67 (2) और 67(5)]

**न्यायलय सहायक कलेक्टर/ तहसीलदार** लम्भुआ

**तहसील-** लम्भुआ **जिला** – सुलतानपुर

वाद संख्या ------------------------वर्ष--------------

**ग्राम पंचायत / स्थानीय प्राधिकारी** ----------------------------------------**बनाम** ----------------- राकेश पाण्डेय S/o श्री राम प्रताप पाण्डेय गिरिजाशंकर शुक्ल S/o रामयत्न शुक्ल

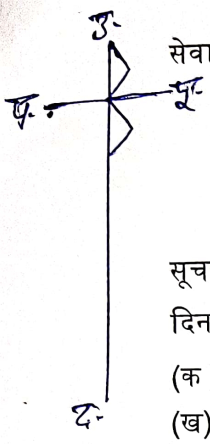


सेवा में, राकेश पाण्डेय S/o श्री राम प्रताप पाण्डेय, गिरिजाशंकर शुक्ल S/o रामयज्ञ शुक्ल

श्री --------------------------------- पुत्र श्री-----------------------

निवासी- लोदीपुर

चूँकि भूमि प्रबन्धक समिति---------------------------------- के अध्यक्ष /सदस्य/सचिव------------------(अन्य सूचना दाता का नाम और पता )---------------------------(स्थानीय प्राधिकारी का नाम) की आख्या सूचना दिनांकित ------------------में मेरा समाधान हो गया है कि –

(क )- अधोलिखित सम्पत्ति को हानि पहुचाया है या पहुंचा रहे है ;

(ख)- अधोलिखित सम्पत्ति को दुर्विनियोजन किया गया है;

(ग)- अधोलिखित सम्पति पर अवैध कब्जा किया गया है ;

ग्राम पंचायत /स्थानीय प्राधिकारी को सौपी गयी सम्पत्ति जिसके सम्बन्ध में यह नोटिस है , का विवरण :-

१- **भू-खण्ड संख्या** 89कि

२- **ग्राम**- लोदीपुर

३- **तहसील**- लम्भुआ

४- **भू-खण्ड का क्षेत्रफल** 80 वर्ग मी.

५- **क्षति/ दुर्वनियोजन /अवैध कब्जे का विवरण** पक्की सरिया व भुसैला बनाकर

६- **नुकसान पहुचायी गयी / दुर्वनियोजित /अवैध अध्यासन की सम्पति का बाज़ार मूल्य** 56000.00₹

▨ अवैध कब्जा नीली स्याही से दर्शाया गया है।

७- **दावाकृत क्षतपूर्ति** -------------------------------

८- **निष्पादन का व्यय** -----------------------------------

लेखपाल
5/11/2026